सदन का सामना करें राहुल गांधी

- भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष खण्डेलवाल ने दी चुनौती
- ढोंग कर झूठ का सहारा लेकर राजनीति कर रहे

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 11 अगस्त. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि राहुल गांधी को यदि वास्तव में देश के मुद्दों पर चर्चा और सवालों के जवाब चाहिए, तो उन्हें संसद चलने देना चाहिए. राहुल गांधी को भाजपा की सीधी चुनौती है कि वह सदन का सामना करें और, क्योंकि केंद्र सरकार हर विषय पर चर्चा को तैयार है.

यह बात उन्होंने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कही. इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी सदन ही नहीं चलने दे रहे हैं. कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दिल्ली में छात्रों पर गोली चालन का झूठा आरोप लगाते हैं, झूठ पर आधारित राजनीति करते हैं. जबकि हकीकत यह है कि दिल्ली में छात्रों पर किसी भी प्रकार का गोली चालन हुआ ही नहीं. सरकार द्वार यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिए जाने के बाद राहुल सदन में चर्चा से कतरा रहे हैं, वह हर दिन गोलपोस्ट बदल रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सदन में चर्चा हुई तो उनके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी छात्रों के हितों का ढोंग कर रहे हैं. जंतर-मंतर में हुए छात्र आंदोलन पर मनगढ़ंत आरोप तो लगाते हैं, लेकिन उनके समर्थन से सरकार वाले राज्य झारखंड में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर हुई बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज पर चुप क्यों हैं. भाजपा छात्रों के भविष्य को संवारने, उनके हितों के लिए लगातार कार्य कर रही है. पेपर लीक जैसे विषय पर कड़े कानून बनाए हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी छात्रों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य कर रहे हैं।

> हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि पिछले 15 दिनों से पूरा देख रहा है कि राहुल गांधी लगातार नए-नए आरोप लगाकर संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं. हर दिन नया मुद्दा, हर दिन नया आरोप- राहुल गांधी की राजनीति का यही आधार बन गया है. राहुल गांधी को चर्चा चाहिए या सिर्फ हंगामा? देश अब इसका जवाब मांग रहा है. राहुल का उद्देश्य संवाद और चर्चा नहीं, बल्कि संसद में अराजकता पैदा करना है. राहुल गांधी ने संसदीय इतिहास की गरिमा और मर्यादा को तार-तार करने का काम किया है.

पॉक्सो कानून को संपत्ति विवाद पर हथियार नहीं बनाया जा सकता

जबलपुर. हाईकोर्ट के जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने संपत्ति विवाद में पॉक्सो कानून के कथित दुरुपयोग को गंभीरता से लेते हुए 66 वर्षीय वृद्ध के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त कर दी. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि पॉक्सो कानून को संपत्ति विवाद पर हथियार नहीं बनाया जा सकता. जबलपुर के गोरखपुर थाने में आवेदक के खिलाफ 12 अक्टूबर 2025 को प्रकरण दर्ज हुआ था. आरोप बहू और पोती की ओर से लगाए गए थे. आवेदक वृद्ध ने कोर्ट को बताया कि एफआईआर के तीन दिन पहले आठ अक्टूबर को उन्होंने एसपी-कलेक्टर को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि बेटा-बहू संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव बना रहे हैं और झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं. उसी दिन बेटे को बेदखल करने की सार्वजनिक सूचना और एनसीआर दर्ज कराई. 10 अक्टूबर को बेटियों के नाम वसीयत व पावर आफ अटार्नी बनाई गई.

अवैध हथियार तस्कर से 13 देशी पिस्टल सहित 45 कारतूस बरामद किए

नवभारत न्यूज

बुरहानपुर, 11 अगस्त. मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में थाना खकनार पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 13 हस्तनिर्मित देशी पिस्टल, एक खाली मैगजीन, 45 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है. जब्त मशरुका की कुल कीमत 4 लाख 72 हजार रुपये बताई गई है.

पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप शेण्डे तथा एसडीओपी नेपानगर सुरेश महाले के मार्गदर्शन में जिले में अवैध हथियारों के निर्माण, क्रय-विक्रय और परिवहन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत खकनार पुलिस को यह सफलता मिली.

पुलिस के अनुसार ग्राम खकनार के पास साईबाबा स्कूल के पीछे जंगल में पेड़ के नीचे एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर बैठा है. सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर मौके पर दबिश दी और एक व्यक्ति को पकड़ा. पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शक्तिसिंह पिता बादलसिंह पटवा (23), निवासी औझर नागलवाड़ी, जिला बड़वानी बताया. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 13 हस्तनिर्मित देशी पिस्टल, एक खाली मैगजीन और 45 जिंदा कारतूस बरामद हुए. इनकी कीमत 3 लाख 72 हजार रुपये तथा मोटरसाइकिल की कीमत 1 लाख 20 हजार रुपये बताई गई है. पुलिस ने कुल 4 लाख 72 हजार रुपये का मशरुका जब्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना खकनार में अपराध क्रमांक 377/2026 के तहत आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) (ए) में प्रकरण दर्ज किया है.

50 हजार की रिश्वत लेते पीडब्ल्यूडी के प्रभारी मुख्य अभियंता गिरफ्तार

- शासकीय निवास पर लोकायुक्त का ट्रैप
- काम दिलाने के बदले मांगी थी एक लाख की रिश्वत

नवभारत न्यूज

रीवा, 11 अगस्त. लोकायुक्त पुलिस रीवा ने मंगलवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) रीवा संभाग के प्रभारी मुख्य अभियंता कैलाश कुमार लच्छे और उनके सहयोगी धर्मवीर भारती को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. कार्रवाई सिविल लाइन क्षेत्र स्थित प्रभारी मुख्य अभियंता के शासकीय निवास पर की गई.

सतना की एक टेस्टिंग लैब फर्म के मैनेजर सोनू सिंह ने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत की थी कि उनकी फर्म निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच का काम करती है. लोक निर्माण विभाग रीवा संभाग में काम दिलाने के एवज में प्रभारी मुख्य अभियंता द्वारा हर माह एक लाख रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी.

शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक योगेश्वर शर्मा ने मामले का सत्यापन कराया. जांच में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद मंगलवार सुबह ट्रैप की कार्रवाई की गई.

70 बोरी यूरिया और 20 बोरी डीएपी खाद जब्त

जबलपुर. सिहोरा पुलिस ने एक पिकअप वाहन से अवैध रूप से ले जाई जा रही 70 बोरी यूरिया और 20 बोरी डीएपी खाद जब्त की है। इस मामले में सहकारी विपणन समिति सिहोरा के लिपिक और खलरी महगवां के एक निजी कृषि केंद्र संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि कृषि विकास अधिकारी जयपाल सिंह राठौर (62) को सूचना मिली थी कि सरकारी खाद को अवैध रूप से ठिकाने लगाने की तैयारी है। कृषि विभाग की टीम ने घेराबंदी कर एक पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 20 जी ए 5016 को रोका।

ट्विशा मामले में सीबीआई 17 तक पेश करेगी चार्जशीट

भोपाल, 11 अगस्त. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में मंगलवार को सीबीआई अदालत में दोनों आरोपियों गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. ड्यूटी मजिस्ट्रेट शोभना भलावे की अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत 17 अगस्त तक बढ़ाने के आदेश दिए.

ट्विशा पक्ष के अधिवक्ता शुभांग दीक्षित ने बताया कि दोनों आरोपियों की पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने वाली थी. सीबीआई ने हिरासत बढ़ाने के लिए आवेदन देकर 19 अगस्त तक न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और 19 अगस्त से पहले चार्जशीट पेश कर दी जाएगी. अदालत ने सीबीआई को 17 अगस्त तक चार्जशीट पेश करने का निर्देश दिया है. अधिवक्ता दीक्षित के अनुसार दोनों आरोपियों के मामले में 90 दिन की वैधानिक अवधि भी नजदीक है. समर्थ सिंह की गिरफ्तारी 21 मई को हुई थी और उसकी 90 दिन की अवधि 19 अगस्त को पूरी होगी. वहीं गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी 27 मई को हुई थी और उनकी 90 दिन की अवधि 25 अगस्त को पूरी होगी. उन्होंने बताया कि यदि सीबीआई 17 अगस्त तक चार्जशीट पेश नहीं करती है तो आरोपियों की ओर से डिफॉल्ट बेल का आधार बन सकता है.

दीक्षित ने बताया कि सीबीआई के अनुसार उसकी जांच लगभग पूरी हो चुकी है. गिरिबाला सिंह की ओर से हाईकोर्ट में जमानत आवेदन लंबित है और इस कारण केस डायरी का बड़ा हिस्सा हाईकोर्ट भेजा गया है. इसके चलते मंगलवार को चार्जशीट पेश नहीं हो सकी. सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह की ओर से लीगल एड के तहत पेश होने वाले अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं हुए. इसके बाद समर्थ सिंह की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एनर्स जॉर्ज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गिरिबाला सिंह से उनकी ओर से पैरवी करने की अनुमति ली. गिरिबाला सिंह की सहमति के बाद एनर्स जॉर्ज ने उनकी ओर से वकालतनामा दाखिल करने की अनुमति मांगी.

विरोध के चलते टोल बूथ हटाया

भिण्ड, 11 अगस्त. जिले में नेशनल हाईवे-552 पर ऊमरी कस्बे के पास करीब तीन किलोमीटर की दूरी पर बनाया जा रहा दूसरा टोल बूथ स्थानीय लोगों के विरोध के बाद मंगलवार को हटा दिया गया.

एमपीआरडीसी और टोल संचालन करने वाली एजेंसी ने बूथ हटाने का फैसला लिया है. अब ऊमरी क्षेत्र में दो स्थानों पर टोल वसूली नहीं होगी. ऊमरी और अकोड़ा के बीच पहले से टोल प्लाजा संचालित है. इसके बाद ऊमरी कस्बे की दूसरी ओर करीब तीन किलोमीटर दूर दूसरा बूथ बनाया जा रहा था. बूथ का निर्माण तेजी से चल रहा था. इसकी जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों और वाहन चालकों ने विरोध शुरू कर दिया था. ग्रामीणों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर बूथ हटाने और मामले की जांच की मांग की थी. ऊमरी सरपंच वीरेंद्र यादव ने भी इसका विरोध किया था. ग्रामीणों का कहना था कि इतनी कम दूरी पर दूसरा टोल बूथ बनने से किसानों और स्थानीय वाहन चालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा. उन्होंने टोल शुरू होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी थी.

एमपीआरडीसी अधिकारियों के अनुसार लहार की ओर से आने वाले कई वाहन ऊमरी-अकोड़ा टोल से नहीं गुजरते और कनावर होते हुए सीधे उत्तरप्रदेश की ओर चले जाते हैं.

रात 2 बजे शिप्रा नदी में डूबे युवक की मौत

उज्जैन. रात 2 बजे के लगभग शिप्रा नदी में एक युवक डूब गया सूचना मिलने पर पुलिस और तैराक दल के सदस्य पहुंचे कुछ देर बाद ही युवक का शव बाहर निकाल लिया गया। महाकाल थाना पुलिस ने बताया कि सोमवार मंगलवार रात 2 बजे शिप्रा नदी स्थित रामघाट पर एक युवक के डूबने की सूचना मिली थी। पुलिस ने तैराक दल के सदस्यों की मदद से युवक की तलाश शुरू की और कुछ देर बाद उसका शव बाहर निकाल दिया गया युवक के साथ तीन से चार दोस्त है। जिसे पूछताछ में सामने आया कि मृतक युवक जय पिता राजू सिसौदिया 20 साल निवासी काला पत्थर है।

वृद्ध दंपति के खातों से 7 .02 लाख रुपये की साइबर ठगी

ग्वालियर, 11 अगस्त. जिले के डबरा थाना क्षेत्र में साइबर ठगों ने एक वृद्ध दंपति के बैंक खातों से कई बार में 7.02 लाख रुपये निकाल लिए. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

अग्रवाल धर्मशाला के पास रहने वाले 75 वर्षीय कारोबारी सुरेश चंद्र बंसल के मोबाइल पर पांच अगस्त को खाते से 50 हजार रुपये निकलने का संदेश आया. कुछ देर बाद उनकी पत्नी शारदा बंसल के खाते से भी 50 हजार रुपये निकाले जाने का संदेश मिला. बिना किसी लेनदेन के रकम निकलने पर दंपति तत्काल यूको बैंक की शाखा पहुंचे. बैंक प्रबंधक से दोनों खातों का स्टेटमेंट निकलवाने पर कई फर्जी लेनदेन सामने आए. सुरेश चंद्र बंसल के खाते से 50,008 रुपये, 1,00,008 रुपये, 2,00,023 रुपये और 2,00,100 रुपये सहित अलग-अलग किस्तों में कुल 6,52,144 रुपये निकाले गए. ठगों ने बीच में कुछ रकम वापस भी जमा की. वहीं शारदा बंसल के खाते से 50,008 रुपये निकाले गए. पीड़ित दंपति ने बैंक स्टेटमेंट के साथ थाने में लिखित शिकायत दी. पुलिस ने लेनदेन की जानकारी जुटाने के साथ साइबर सेल की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

सीजेएम को दी बंगले पर जान से मारने की धमकी

दतिया, 11 अगस्त. शहर के सिविल लाइन इलाके में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सतीश वसुनिया के बंगले के बाहर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा पहुंचकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार घटना 23 जुलाई की सुबह करीब 09 बजे की है. सीजेएम सतीश वसुनिया अपने सिविल लाइन स्थित बंगले पर मौजूद थे. इसी दौरान न्यायालय का एक कर्मचारी बंगले पर पहुंचा और उन्हें बताया कि बाहर एक व्यक्ति गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहा है. आरोपी ने कर्मचारी से कथित तौर पर कहा कि वह चार लोगों को मार चुका है और साहब को भी मारना है. जानकारी मिलने पर सीजेएम बंगले से बाहर आए, लेकिन उनके बाहर आने तक आरोपी वहां से जा चुका था. शिकायत के मुताबिक आरोपी की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष है और घटना के समय उसने सफेद रंग की टी-शर्ट तथा काले रंग का लोअर पहन रखा था.

सीजेएम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके न्यायालय में प्रतिदिन विभिन्न मामलों की सुनवाई होती है, जिनमें गंभीर अपराधों के आरोपी भी पेश होते हैं. बंगले के बाहर अज्ञात व्यक्ति द्वारा धमकी दिए जाने की घटना के बाद उन्होंने अपनी और परिवार की सुरक्षा को लेकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की. घटना के अगले दिन 24 जुलाई को सीजेएम की ओर से पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी गई थी. इसमें अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई और सुरक्षा संबंधी मांग की गई थी. यह शिकायत बाद में 10 अगस्त को कोतवाली थाना पहुंची, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया.पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3) के तहत प्रकरण दर्ज किया है. आरोपी की पहचान के लिए पुलिस बंगले के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है.

भारी बारिश के बीच आपदा टीमें हाई अलर्ट पर

- मध्यप्रदेश में आपातकालीन बल को दिए विशेष निर्देश
- संवेदनशील इलाकों में बचाव दल को सतर्क रहने के आदेश

विशेष संवाददाता

भोपाल, 11 अगस्त. मध्यप्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के कारण नदी-नालों के उफान और जलभराव की स्थिति को देखते हुए राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल (एसडीई आरएफ), होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में पूरी मुस्तैदी से जुटी हैं।

होमगार्ड, सिविल डिफेंस एवं आपदा प्रबंधन की महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने बताया कि संवेदनशील जिलों में बचाव दलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। क्विक रिस्पॉन्स टीमें, आपदा राहत वाहन, रेस्क्यू बोट और आधुनिक उपकरण तत्काल तैनाती के लिए तैयार हैं। आगर मालवा जिले में सोयत थाना क्षेत्र के जलभराव वाले इलाकों में टीमों ने 380 लोगों को सुरक्षित निकाला। इनमें विद्युत कार्यालय कॉलोनी से 250, माधव चौक से 70 और इंदौर-कोटा हाईवे से 60 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों एवं राहत शिविरों में पहुंचाया गया। रामघाट पर तैनात होमगार्ड जवानों ने उफनती क्षिप्रा नदी में नहाते समय बह गए 21 वर्षीय जय सिसोदिया को बचाया। कांस्टेबल जीवन सोलंकी ने गहरे पानी में छलांग लगाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला।

अंतरराज्यीय कार चोर गैंग का भंडाफोड़

इंदौर. राजेंद्र नगर क्षेत्र में लगातार कार चोरी करने वाली अंतरराज्यीय गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है. तीन पुरुष और एक महिला आरोपी को पीथमपुर से गिरफ्तार किया है. गैंग पहले कॉलोनियों की रेकी करती थी, फिर बिजली बंद कर सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने के बाद कार चोरी करती और फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उसे खपा देती थी. राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में 29 जुलाई से 5 अगस्त के बीच तीन कार चोरी हुई थीं. जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले.

राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करेगी तिरंगा यात्रा

नवभारत न्यूज

रीवा, 11 अगस्त, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रीवा नगर निगम क्षेत्र में सिरमौर चौक से गंगा वाटिका तक आयोजित तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए. इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने हेमू कालाणी चौक स्थित महान स्वतंत्रता सेनानी श्रद्धेय हेमू कालाणी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रारंभ हुए 'हर घर तिरंगा अभियान' के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी अभियान में लोगों से सहभागिता करने का आह्वान किया. सभी लोगों से अपने घरों पर भारत के स्वाभिमान के प्रतीक हमारे तिरंगे को फहराने के लिए प्रेरित किया. इस विशाल तिरंगा यात्रा में लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर इसे और भव्य बना दिया. तिरंगा यात्रा देशवासियों में राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करेंगी. तिरंगा हमारी आन-बान और शान प्रतीक है.

उप मुख्यमंत्री शुक्ल विशाल तिरंगा यात्रा में हुए शामिल

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल, नगर निगम अध्यक्ष व्यंकटेश पाण्डेय, भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, पूर्व विधायक के. पी. त्रिपाठी, पूर्व महापौर राजेंद्र ताम्रकार, विंध्य विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. अजय सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता राम सिंह, कमलेश्वर सिंह, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य श्रीमती मनीषा पाठक सहित बड़ी संख्या गणमान्य नागरिक और आम जन उपस्थित रहे.

अवैध उत्खनन | ग्वालियर हाईकोर्ट में बिलौआ अवैध खनन मामले की सुनवाई : कलेक्टर रुचिका चौहान हुईं उपस्थित

कोर्ट ने देखी ड्रोन वीडियोग्राफी, दिनभर चली तीखी बहस

ग्वालियर 11 अगस्त. ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच में बिलौआ और रफादपुर क्षेत्र में जारी अवैध उत्खनन व परिवहन के चर्चित मामले पर कड़ा रुख जारी है. हाईकोर्ट के कड़े निर्देशों के पालन में मंगलवार को ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित हुई.

इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शनिवार को कराई गई पूरे माइनिंग एरिया व क्रशरों की ड्रोन वीडियोग्राफी (पेन ड्राइव) को कोर्ट रूम में देखा गया, जिसके बाद सुबह से शाम तक मामले पर विस्तृत बहस हुई.

याचिकाकर्ता अकरम खान द्वारा डिफॉल्टर खदानों की लीज के नवीनीकरण को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की गई थी. सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ियां और तथ्य छिपाने की बात उजागर होने पर कोर्ट ने पूर्व में ही 16 खदानों में खनन पर तत्काल रोक लगा दी थी. क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का सटीक आकलन करने के लिए कोर्ट के निर्देश पर शनिवार को पूरे माइनिंग और क्रशर जोन की एरियल ड्रोन वीडियोग्राफी कराई गई थी.

> **खनिज विभाग ने दिए सुझाव**
>
> अवैध खनन व परिवहन पर कड़ाई से नकेल कसने के लिए खनिज विभाग ने सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष कई महत्वपूर्ण तकनीकी प्रस्ताव रखे. जिनमे प्रमुख रूप से सीसीटीवी कैमरों से निगरानी: बिलौआ और रफादपुर क्षेत्र की सभी खदानों तथा क्रशरों पर हाई-टेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. स्वचालित वे-ब्रिज (धर्म कांटा): ओवरलोडिंग रोकने के लिए ऑटोमैटिक वजन मशीनें स्थापित होंगी, जिससे गिट्टी से भरे ट्रकों के गुजरते ही पूरी जानकारी स्क्रीन पर दर्ज हो जाएगी.

सांवरिया सेठ के दान पात्र से निकले 9 .52 लाख

मंदसौर. मालवा क्षेत्र में आस्था के प्रमुख केंद्र भगवान श्री सांवरिया सेठ (लक्ष्मीनारायण) मंदिर, लदूसा में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के अवसर पर मंगलवार को दानपात्र खोला गया। श्रद्धालुओं की मौजूदगी में दानपात्र से निकली राशि की गणना की गई, जिसमें कुल 9 लाख 52 हजार 41 रुपए प्राप्त हुए। नकद राशि के साथ दानपात्र से चांदी की वस्तुएं, सोने का मंगलसूत्र और विभिन्न देशों की विदेशी मुद्राएं भी निकलीं। मंदिर ट्रस्टी पं. महेश व्यास ने बताया कि भगवान सांवरिया सेठ के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था के चलते देश-विदेश से भक्त मंदिर पहुंचकर अपनी श्रद्धानुसार दान करते हैं।

83 .97 लाख की नशीली सामग्री जब्त

- पुलिस का नशे के विरूद्ध अभियान निरंतर जारी
- प्रदेश के क्राइम ब्रांचों का ऑपरेशन प्रहार नियमित

विशेष संवाददाता

भोपाल, 11 अगस्त. मध्यप्रदेश पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए गए पांच दिवसीय प्रदेशव्यापी अभियान में 83.97 लाख रुपये से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ और वाहन जब्त किए हैं।

पुलिस ने विभिन्न जिलों में कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। मंदसौर पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाइयों में 62.84 किलोग्राम डोडाचूरा, 3 किलोग्राम अफीम तथा 529.69 किलोग्राम डोडाचूरा बरामद किया। इन मामलों में जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 23.44 लाख रुपये आंकी गई है। नीमच में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 4.1 किलोग्राम अफीम और करीब 20.50 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई।

इंदौर क्राइम ब्रांच ने दो कार्रवाइयों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर 158.25 ग्राम एमडी ड्रग्स और एक मोटरसाइकिल जब्त की, जिसकी कीमत करीब 17.20 लाख रुपये है। रीवा पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार 2.0 के तहत 1,410 बोतल ऑनरेक्स कफ सिरप जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 13.83 लाख रुपये है। उज्जैन में 33.55 किग्रा डोडाचूरा तथा विदिशा में 25 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।